न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 86/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि. रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी. एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर' 302004, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह		1. श्रवण राम पुत्र खेमा राम कुमावत 2. खेमा राम कुमावत पुत्र मंगला राम 3. चन्दा देवी पत्नि श्रवण राम 4. किशन लाल पुत्र खेमा राम कुमावत पता– ग्राम कूणी, पोस्ट चोसला, तहसील नावां जिला नागौर–341509, राज. 5. महादेव कुमावत पुत्र मानाराम कुमावत पता– बबेरवालों की ढाणी, भारीजा, जोबनेर, जयपुर' 303328, राज

आदेश

दिनांक: 22-01-2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को जरिये **रूपये 5,,00,000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.05.2016** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– ग्राम देवपुरा** कूणी, **ग्राम पंचायत चोसला, पंचायत समिति कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है,** माप लगभग **1690 वर्ग फीट है। (पट्टा नम्बर 45/2004 दिनांकित 20.06.2004)** चतुर्सीमाए– **पूर्व में**– आम रास्ता, पश्चिम **में– कृष्ण, श्रवण एंव कैलाश का प्लॉट, उत्तर में– कृष्ण का मकान, दक्षिण में– कैलाश का मकान,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 05.07.2017** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी में रूपये **7,50,802/–(अक्षरे सात लाख पचास हजार आठ सौ दो रूपये मात्र) दिनांक 23.08.2019** तक एंव **इसके पश्चात् का ब्याज अतिरिक्त** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 26.08.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 7,50,802/–(अक्षरे सात लाख पचास हजार आठ सौ दो रूपये** मात्र) **दिनांक 23.08.2019 तक एंव इसके पश्चात् का ब्याज अतिरिक्त** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– ग्राम देवपुरा कूणी, ग्राम पंचायत चोसला,** पंचायत समिति **कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, माप लगभग 1690 वर्ग फीट है। (पट्टा** नम्बर **45/2004 दिनांकित 20.06.2004) चतुर्सीमाए– पूर्व में–** आम रास्ता, **पश्चिम में–** कृष्ण, श्रवण एंव कैलाश का **प्लॉट, उत्तर में– कृष्ण का मकान, दक्षिण में– कैलाश का** मकान, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है का कब्जा लेना है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 5,,00,000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.05.2016** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– ग्राम देवपुरा कूणी, ग्राम पंचायत चोसला, पंचायत समिति कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, माप लगभग 1690 वर्ग फीट है। (पट्टा नम्बर 45/2004 दिनांकित 20.06.2004) चतुर्सीमाए– पूर्व में– आम रास्ता, पश्चिम में– कृष्ण, श्रवण एंव कैलाश का प्लॉट, उत्तर में– कृष्ण का मकान, दक्षिण में– कैलाश का मकान,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

K 17/1/2020

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर
नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: